

2022/123

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला-अजमेर

मुकदमा नम्बर 16/2022

उनवान

रघुराज पुत्र श्योजीराम वगै० बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136एल.आर.एक्ट

-:: आदेश ::-

दिनांक 02.03.2022

प्रार्थी रघुराज पुत्र श्री श्योजीराम वगै० द्वारा अन्तर्गत धारा राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट व गवाहान, खातेदारान के दस्तावेजो ग्राम बघेरा के खाता न. 298 के खातेदारान कमलेश गजराज, मुकेश, रघुराज, सत्यवती पिता श्योजी व सुरेशी पत्नी श्योजी के स्थान पर श्योजीराम शुद्ध किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्राप्त हुई है

अतः तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर श्योजी के स्थान पर श्योजीराम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड मे इद्राज दुरस्त करे।


(निकाम संतोषी)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
केकड़ी

